छत्तीसगढ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

(अधिसूचना)

रायपुर दिनांक 3-6-2003
7-6-2003

कमांक एफ- 14-2/03/(6)/11 — 4 ....राज्य शासन एतद् द्वारा 1 नवंबर 2001 से प्रभावी छत्तीसगढ राज्य अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये मार्जिन मनी नियम 2001 निम्नानुसार लागू करता है।

(1) उदेश्य एवं नाम :-

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को उधोग स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने तथा उद्योग स्थापना के लिए वित्त पोषण में सहायता प्रदान करने हेतु मार्जिन मनी योजना 1 नवम्बर 2001 से लागू की गयी है ।इस योजना के नियमों को "छत्तीसगढ राज्य अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये मार्जिन मनी नियम 2001 नाम से जाना जावेगा ये नियम दिनांक 01 नवम्बर 2001" से सम्पुर्ण राज्य में प्रभावशाली माने जावेगें ।

(2) योजना का कियान्वयन :-

योजना का कियान्वयन उधोग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा । इस योजना के अर्न्तगत अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित नवीन उधोगों को, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु अधिसूचित बैंक / म0प्र0 वित्त निगम /छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डव्हलपमेंट कार्पोरेशन / आदिवासी वित्त एवं विकास निगम / अनु सूचित जाति वित्त एवं विकास निगम / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान / जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक / नागरिक सहकारी बैंक द्वारा स्वीकृत व वितरित ऋण पर 15 प्रतिशत मार्जिन मनी राज्य शासन वाणि।ज्य एवं उधोग विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 15.00 लाख होगी ।

(3) परिभाषा :-

इस योजना के कियान्यवयन हेतु नवीन औद्योगिक इकाई, वृहद —मध्यम इकाई, लद्यु उद्योग इकाई, परियोजना लागत, अनुसूचित जाति / जनजाति, सावधि ऋण, कार्यशील पूंजी, अनुसूचित जाति / जनजाति द्वारा स्थापित / प्रस्तावित उद्योग व मार्जिन मनी की वही परिभाषा होगी, जो राज्य शासन वाणिज्य एवं उधोग विभाग की अधिसूचना क्0.......(एफ-14-2/03/(6)/11-1) दिनांक....03/07/6/03 के द्वारा जारी की गयी है ।

(4) पात्रता :-

4.1– मार्जिन मनी सुविधा की पात्रता केवल अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा प्रस्तावित उन नवीन उधोगों को ही होगी ।जिनके पक्ष में सावधि ऋण / कार्यशील पूंजी या सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी हेतु ऋण स्वीकृत कर ऋण स्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया हो ।

4.2– इस योजना का लाभ लेने के लिये यह आवश्यक है कि स्वीकृत परियोजना लागत रूपये एक करोड तक होने पर कम से कम 10 प्रतिशत तथा परियोजना लागत रूपये एक करोड से अधिक होने पर कम से कम 5 प्रतिशत का अंशदान उद्यमी द्वारा स्वयं निवेशित किया जाये ।

4.3– इस योजना के अन्तर्गत यह आवश्यक होगा कि स्वीकृत परियोजना लागत में ऋण की स्वीकृत राशि व 15 प्रतिशत मार्जिन मनी को छोडकर परियोजना की शेष राशि की व्यवस्था उधोग द्वारा स्वंय के स्त्रोतों से कर यह राशि बैंक / संस्थान में इकाई के ऋण खाते में जमा कर दी गयी हो ।

4.4– मार्जिन मनी की सुविधा राज्य शासन भारत सरकार / वित्तीय संस्थाओं / बोर्ड / लघु उद्योग विकास बैंक आदि, जहां भी मार्जिन मनी योजना के अंन्तर्गत मिलती हो, में से किसी एक स्त्रोत से ही ली जा सकेगी इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु उद्यमी को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उन्होने अन्य किसी स्त्रोत से मार्जिन मनी सुविधा नही ली है न ही आवेदन किया है एवं न ही, इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त होने पर लेंगे ।

4.5– इस योजना का लाभ औधोगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति / जनजाति द्वारा प्रस्तावित नवीन उद्योगों को ही दिया जावेगा ।

4.6– अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग द्वारा प्रस्तावित उन उधोगों को भी इस योजना का लाभ प्राप्त होगा जो उपरोक्त बिन्दु कमांक 4.5 के अर्न्तगत नही आते है यदि उनका उद्योग निजी भूमि होने की स्थिति में नगर निगम / नगर पालिका सीमा के बाहर स्थापित किया जाना प्रस्तावित हो अथवा जिन्हें उद्योग विभाग या उनकी किसी ऐजेन्सी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के बाहर भूमि उपलब्ध करायी गयी हो ।

4.7– इस योजना के तहत पात्र होने के लिये यह भी आवश्यक है कि उनके द्वारा राज्य शासन अथवा भारत शासन की स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त न किया गया हो

4.8– इस योजना का लाभ केवल एक बार ही प्राप्त होगा ।

4.9– आवेदक अथवा आवेदकों में कोई या औद्योगिक इकाई द्वारा मिथ्या ढंग से, गलत ढंग से या त्रुटिपूर्ण ढंग से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो तो इस योजना के लिये पात्रता नही होगी । एवम यदि ऐसे गलत प्रमाण पत्र आधार पर हस सुविधा का लाभ ले लिया गया हो तो सुविधा की राशि ब्याज सहित वसूली योगय हो जायेगी ।

(5) प्रकिया :-

5.1– इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के लिये अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा प्रस्तावित उद्योगों को उधोग आयुक्त द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर निम्नांकित सहपत्रों के साथ सबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र में आवेदन करना होगा

अ– प्रस्तावित लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र या औधोगिक (विकास व नियमन) अधिनियम 1951 के तहत प्राप्त आश्य पत्र / लायसेंस (यदि लागू हो)

ब– वृहद / मध्यम श्रेणी के उधोग होने पर भारत शासन उधोग मत्रांलय से जारी आई. ई.एम. अभिस्वीकृति /औधोगिक (विकास व नियमन) अधिनियम 1951 के तहत प्राप्त आशय पत्र /लायसेंस (जो भी लागू हो)

स– वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत की सत्यापित प्रति

द– वित्तीय संस्था / बैंक आदि द्वारा ऋण स्वीकृती पत्र की सत्यापित प्रति ।

ई– परियोजना लागत के वित्त पोषण हेतु स्वीकृत ऋण व 15 प्रतिशत मार्जिन मनी के प्रावधान के पश्चात शेष राशि की व्यवस्था स्वयं के स्त्रोतों से करने बाबत द्योषणा पत्र ।

फ– अनुसूचित जाति / जनजाति से सबंधित स्थायी प्रमाण पत्र

5.2– सम्पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने पर प्रकरण का परीक्षण किया जावेगा तथा मार्जिन मनी की आवश्यकता रूपये 5 लाख तक होने पर प्रकरण जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखा जावेगा एवम मार्जिन मनी की आवश्यकता रूपये 5 लाख से अधिक होने पर महाप्रंबधक जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र द्वारा प्रकरण उधोग संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा जिस पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जावेगा ।

5.3–जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार होगा :–

जिला स्तरीय समिति

1–	कलेक्टर	अध्यक्ष
2–	संयुक्त उद्योग संचालक, संभागीय उधोग अधिकारी	उपाध्यक्ष
3–	लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
4–	जिला कोषालय अधिकारी	सदस्य
5–	जिला संयोजक,आदिम जाति कल्याण विभाग	सदस्य
6–	वित्तीय संस्था के शाखा प्रबंधक जिनके द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया हो	विशेष आमंत्रितसदस्य
7–	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र	सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय समिति

1–	उधोग आयुक्त	अध्यक्ष
2–	महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैक	सदस्य
3–	प्रबंध संचालक सी0एस0आई0डी0सी0 / म0प्र0 वित्त निगम अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी	सदस्य
4–	आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग	सदस्य
5–	अपर संचालक उधोग,उद्योग संचालनालय	सदस्य सचिव

समितियों का कोरम 3 का होगा व योजनाओं के कियान्यवयन हेतु समितियों की बैठक प्रत्येक माह होगी ।यदि आवश्यक हो तो माह में एक से अधिक बैठकें भी हो सकेगी,

5.4– सदस्य सचिव जिला स्तरीय समिति / राज्य स्तरीय समिति का कार्य होगा

1– योजना के कियान्वयन हेतु प्रत्येक माह बैठक का आयोजन करना,

बैठक की कार्यसूची तैयार करना,कार्यवाही विवरण की तैयार करना व
कार्यवाही विवरण का अनुमोदन कराना तथा सदस्यों को प्रेषित करना ।
2– योजना के अर्न्तगत प्राप्त क्लेमों का संकलन करना / समितियों की बैठकें आयोजित कर प्रकरणों का निपटारा करना ।
3– योजना से सबंधित लेखों का संधारण ।
4– दावों के भुगतान के सबंध में आडिट आपत्तियों का निराकरण करना।
5– योजना के कियान्यवयन हेतु योजना के तहत पात्रतानुसार सहायता स्वीकृत करने में ।

समिति सामूहिक रूप से उत्तर दायी होगी ।सदस्य सचिव का दायित्व नियमों के परिप्रेक्ष्य में समस्त तथ्यों को समिति के समक्ष रखना होगा ।

5.5– समिति के निर्णय के उपरांत समिति के सदस्य सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वीकृति पत्र जारी किया जावेगा, प्रकरण अस्वीकृत हाने पर "निरस्तीकरण आदेश' जारी किया जावेगा

5.6– प्रकरण के स्वीकृत होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान विभागीय बजट उपलब्ध होने पर, जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र के माध्यम से सीधे वित्तीय संस्था, जिसके द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है को किया जायेगा । वित्तीय संस्था द्वारा यह राशि उद्योग के व्यक्तिगत खाते में जमा की जावेगी (उद्योग के ऋण खाते में नही) मार्जिन मनी राशि बैंक को भेजने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में इकाई के साथ अनुबंध का निष्पादन व पंजीयन किया जावेगा, राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की ओर से महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनुबंध का निष्पादन व पंजीयन किया जावेगा । पंजीयन सबंधी व्यय इकाई द्वारा वहन किये जावेंगे ।विभागीय आवंटन प्राप्त न होने अथवा विलंब के लिये राज्य शासन का कोई दायित्व नही होगा ।

5.7– वित्तीय संस्था के पास यह राशि सबंधित उद्योग के लिये मार्जिन मनी के रूप में शासन की ओर से उपलब्ध रहेगी स्वीकृत परियोजना लागत के वित्त पोषण हेतु संबधित बैंक / वित्तीय संस्थान / निगम द्वारा ऋण राशि के अनुपात में मार्जिन मनी की राशि इकाई के व्यक्तिगत खाते से ऋण खाते मे हस्तांतरित की जायेगी ।

(6) मार्जिन मनी सहायता की प्रकिया तभी प्रारंभ होगी जबकि अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग द्वारा प्रस्तावित उधोग को सावधि ऋण / कार्यशील पूंजी की परिभाषा में निहित बैंक / निगम /वित्तीय संस्थान द्वारा योजना के कियान्वयन हेतु ऋण स्वीकृति पत्र जारी कर दिया जाये किन्तु यदि बैंक / निगम / वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण स्वीकृति की प्रकिया के दौरान योजना के कियान्वयन एजेन्सी से मार्जिन मनी सहायता की स्वीकृति सबंधी सहमति पूर्व में ही मांगी जाती है तो अनंतिम सहमति सदस्य सचिव द्वारा निम्नांकित शतों के अधीन दी जा सकेगी:–

"यह सहमति इस आशय का आश्वासन नही है कि आवेदक इकाई को मार्जिन मनी सुविधा प्रदान की ही जावेगी एवम न ही यह सहमति भविष्य में मार्जिन मनी सहायता स्वीकृति हेतु बंधनकारी होगी ।सहमति किसी वित्तीय वर्ष में बजट के आवंटन, योजना के अन्तर्गत मांग व पूर्ति तथा प्रकरण के गुण दोषो के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रदान की जावेगी ।"

अनंतिम सहमति हेतु सदस्य सचिव को ही पूर्ण अधिकार होगा तथा सहमति देना अथवा न देना जिला / राज्य स्तरीय समिति के कार्य क्षेत्र के बाहर होगा ।

(7) मार्जिन मनी की राशि सबंधित वित्तीय संस्था में जमा होने के पश्चात यदि सबंधित उद्यमी द्वारा उधोग स्थापित नही किया जाता है या उधोग स्थापना हेतु निर्माण कार्य बीच में ही छोड दिया जाता है तो मार्जिन मनी की यह जमा / शेष राशि इकाई के ऋण खातें में समायोजित नही की जावेगी तथा इस पर देय ब्याज सहित पूर्ण शेष राशि स्वीकृति आदेश जारी करने वाले निगम / वित्तीय संस्थान बैंक द्वारा वापिस कर दी जाएगी । इस सबंध में स्वीकृतिकर्ता अधिकारी का निर्णय बैंक तथा संबधित उद्यमी / उद्योग पर बंधनकारी होगा ।

(8) <u>मार्जिन मनी की वसुली :–</u>

यदि यह पाया जाता है कि प्रस्तवित उधोग / उद्यमी द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर मार्जिन मनी सहायता की राशि प्राप्त की गई हैं तो सहायता की राशि एक किश्त मे वसुली योग्य हो जावेगी जिसकी वसुली भू–राजस्व की वसुली के सद्रश्य की जा सकेगी

(9) <u>मार्जिन मनी राशि का पुनर्भुगतानः–</u>

9.1– मार्जिन मनी के रूप में औद्योगिक इकाई को प्रदाय की गयी सुविधा के पूनर्भुगतान की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

1– .मार्जिन मनी राशि का पुनर्भुगतान उद्योग स्थापित हो जाने के एक वर्ष पश्चात प्रारंभ किया जावेगा ।

2– मार्जिन मनी राशि पर 1 प्रतिशत वार्षिकी की दर से सर्विस चार्जेज देय होगा । मार्जिन मनी की राशि तथा इस पर देय सर्विस चार्ज उद्योग / उद्यमी से वसूल कर वितरण स्वीकृतिकर्ता एजेन्सी को समय पर वापिस करने की जिम्मेदारी सबंधित बैंक की होगी । वे इस संबध में त्रैमासिक विवरण भी भेजेंगे । मार्जिन मनी राशि पर कोई ब्याज अधिरोपित नही किया जावेगा

3– यदि सहायता प्राप्त औद्योगिक इकाई द्वारा पुनर्भुगतान रोक दिया जाता है तो अनुसूचित जाति / जनजाति हेतु घोषित विशेष रियायतें यथा ब्याज अनुदान, लागत पूंजी सहायता आदि सभी या कोई भी सहायता रोक दी जावेगी ।

4– वृहद मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में अपर संचालक उद्योग व लद्यु उद्योगों के प्रकरणों में महाप्रबंधक को यह अधिकार होगा कि मार्जिन मनी राशि के दुरूपयोग या पुनर्भुगतान में इकाई द्वारा जानबूझ कर देरी अथवा भुगतान न किये जाने पर किसी भी अन्य योजनान्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि का समायोजन इस योजना के अन्तर्गत कर सकें ।

5– मार्जिन मनी राशि के पुनर्भगतान की वही अवधि होगी जो ऋण के भुगतान की अवधि स्वीकृतकर्ता बैंक / वित्तीय संस्थान / निगम द्वारा निर्धारित की जाती है ।तथा उसी अनुपात में यह राशि संबंधित बैंक द्वारा उद्योग / उद्यमि से वसूल की जावेगी ।

(10) <u>अपील :–</u>

जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध राज्य स्तरीय समिति को आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर अपील की जा सकेगी । राज्य स्तरीय समिति द्वारा यथासंभव 60 दिवस की अवधि में इस पर निर्णय लिया जावेगा ।राज्य स्तरीय समिति के निर्णय / के आदेश के विरूद्ध राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय / आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर अपील की जा सकेगी । राज्य शासन का निर्णय औद्योगिक इकाई, कियान्वयन एजेन्सी तथा बैंक तीनो पर बंधनकारी होगा ।

(11) इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय मे ही वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(12) योजना के अन्तर्गत कार्य की निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त सक्षम होंगें ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

07/6/03

(अमिताभ जैन)
विशेष सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
रायपुर